	परिपत्र ज्ञापन संख्या 2019/योजना /43	C.C.N 2019/181
	प्रेषक – अध्यक्ष, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय,देहरादून, फोन–0135–2710660,2710661 फैक्स–0135–2710662	प्रेषित– समस्त शाखा प्रबन्धक/ क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, शाखा /क्षेत्रीय कार्यालय, एवं समस्त विभाग प्रधान कार्यालय। दिनांकः 16.11.2019

सावधि जमा ब्याज दरों मे परिवर्तन दिनांक 20.11.2019 से प्रभावी

उपरोक्त विषयक हमारे पूर्व परिपत्र संख्या 2019/योजना/27 (सीसीएन 2019/141) दिनांक 19.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इसी क्रम में बैंक द्वारा सावधि जमाओं पर ब्याज दरों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है जो दिनांक 20.11.2019 से प्रभावी होंगी।

रू0 1 करोड़ से कम एवं रू0 1 करोड़ एवं अधिक की सावधि जमाओं पर दिनांक 20.11.2019 से प्रभावी ब्याज दरें निम्नलिखित तालिकानुसार हैं–

विवरण	रू0 01 करोड से कम की जमाराशि पर (दिनांक 25.09.2019 से लागू)		रू0 01 करोड से कम की जमाराशि पर (दिनांक 20.11.2019 से लागू)		रू0 01 करोड एवं अधिक की एकल जमाराशि (दिनांक 25.09. 2019 से लागू)		रू0 01 करोड एवं अधिक की एकल जमाराशि (दिनांक 20.11.2019 से लागू)	
	सामान्य ग्राहक	वरिष्ठ नागरिक	सामान्य ग्राहक	वरिष्ठ नागरिक	सामान्य ग्राहक	वरिष्ठ नागरिक	सामान्य ग्राहक	वरिष्ठ नागरिक
07 दिनों से 14 दिनों तक	4.50	4.50	4.50	4.50	4.30	4.30	4.00	4.00
15 दिनों से 28 दिनों तक	4.50	4.50	4.50	4.50	4.30	4.30	4.00	4.00
29 दिनों से 45 दिनों तक	4.50	4.50	4.50	4.50	4.30	4.30	4.00	4.00
46 दिनों से 90 दिनों तक	5.50	5.50	5.50	5.50	5.30	5.30	4.75	4.75
91 दिनों से 180 दिनों तक	5.50	5.50	5.50	5.50	5.30	5.30	4.75	4.75
181 दिनों से 01 वर्ष से कम तक	5.80	5.80	5.80	5.80	5.70	5.70	5.25	5.25
01 वर्ष हेतु	6.55	7.05	6.30	6.80	6.30	6.80	5.50	6.00
01 वर्ष से अधिक तथा 02 वर्ष से कम तक	6.55	7.05	6.40	6.90	6.30	6.80	5.50	6.00
02 वर्ष एवं अधिक तथा 03 वर्ष से कम	6.25	6.75	6.25	6.75	6.00	6.50	5.25	5.75
03 वर्ष एवं अधिक एवं 5 वर्ष से कम	6.25	6.75	6.25	6.75	5.75	6.25	5.25	5.75
05 वर्ष एवं अधिक एवं 10 वर्ष तक	6.25	6.75	6.25	6.75	5.75	6.25	5.25	5.75

- शाखाओं द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों/संस्थानों/ Inter Bank के Bulk Deposit हेतु अधिक ब्याज दर की मांग किये जाने पर प्रधान कार्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार ब्याज दर विचलन हेतु अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
- उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक स्टाफ को सामान्य ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दर प्रदान की जायेगी। तथापि उन्हें इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि जमा उनके वेतन की राशि से किया गया है।
- उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा वरिष्ठ नागरिक को (एक वर्ष या उससे अधिक की जमा पर) सामान्य ब्याज दर से 0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज दर प्रदान की जायेगी। यदि वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्त स्टाफ है तो उसे वरिष्ठ नागरिकों हेतु निर्धारित सामान्य ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दर देय होगा। तथापि उन्हें इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि जमा उनके वेतन/सेवानिवृत्ति लाभों की राशि से किया गया है। उपरोक्तानुसार जमा पर ब्याज दरें नवीन एवं नवीनीकृत किये जाने वाले सावधि जमा पर लागू है।

- **विभिन्न विशेष सावधि जमा योजनाओं (बालिका प्रोत्साहन योजना, नन्दा देवी कन्या योजना, गौरा देवी कन्या धन योजना, इत्यादि) में सामान्य सावधि ब्याज दरें ही लागू होंगी।**

समयपूर्व (Premature) आहरण पर जुर्माना

अ. रू0 1 करोड़ से कम जमा राशि के समय पूर्व आहरण पर जुर्माना

रू 5.00 लाख तक की सावधि जमा, यदि बैंक के पास न्यूनतम 7 दिनों तक रखी गई हो पर कोई जुर्माना लागू नहीं होगा।

समस्त परिपक्वता अवधि की रू 5.00 लाख से अधिक लेकिन रू 1.00 करोड़ से कम की राशि की सावधि जमा के समयपूर्व आहरण पर, जिस अवधि हेतु जमा बैंक में है, उस हेतु लागू ब्याज दर (applicable rate of interest), अथवा संविदागत ब्याज दर (contracted rate of interest), दोनों में से जो भी कम हो, से 1.00 प्रतिशत कम ब्याज दर, लागू होगी।

ब. रू0 1 करोड़ व इससे अधिक राशि के जमा के समयपूर्व आहरण पर जुर्माना

समस्त परिपक्वता अवधियों हेतु समयपूर्व आहरण पर, जिस अवधि हेतु सावधि जमा बैंक में है, उस हेतु लागू ब्याज दर (applicable rate of interest), अथवा संविदागत ब्याज दर (contracted rate of interest), दोनों में से जो भी कम हो, से 1.00 प्रतिशत कम ब्याज दर, प्रदान की जायेगी।

- सावधि जमाओं के समयपूर्व आहरण पर जुर्माना दरों में कमी/छूट प्रदान करना शाखा प्रबन्धक के विवेकाधिकार में नहीं है।
- यूजीबी स्टाफ एवं यूजीबी पेंशनर्स से समयपूर्व आहरण पर कोई भी जुर्माना नहीं लिया जायेगा। यूजीबी स्टाफ एवं यूजीबी पेंशनर्स से सावधि जमाओं के समयपूर्व आहरण पर उस अवधि हेतु लागू ब्याज दर जिस अवधि हेतु सावधि जमा बैंक में है (applicable rate of interest), अथवा संविदागत ब्याज दर (contracted rate of interest), दोनों में से जो भी कम हो, लागू होंगी।

कृपया नोट करें कि ग्राहक का सावधि जमा खाता खोलते समय समयपूर्व आहरण पर जुर्माने के सम्बन्ध में ग्राहक को आवश्यक रूप से अवगत कराया जाये तथा इस आशय की सूचना खाता खोलने के फॉर्म पर भी नोट किया जाना आवश्यक है।

कृपया परिपत्र की विषयवस्तु को समस्त स्टाफ के संज्ञान में लायें।

महाप्रबंधक

नोट किया		
शाखा प्रबंधक	अधिकारी	कर्मचारी